न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–55/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

श्री कर्णसिंह पिता गोर्धनसिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

1. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

............विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :– **श्री अर्जुन सिंह**

अप्रार्थी की ओर से :– **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः– 19.11.2025

–:आदेशः–

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा अरनिया, प0ह0 बलकुण्डीकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 11 खसरा संख्या 112,113,114,178,179,180,954,96,97,98,99 कुल किता 11 कुल रकबा 3.8400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं उक्त आराजी में प्रार्थी की आराजी संख्या 178, रकबा 0.1700 है0, खसरा संख्या 179, रकबा 0.2100 है0 व खसरा संख्या 180 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.5000 हैक्टर की पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्य178, 179, 180 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा अरनिया, प0ह0 बलकुण्डीकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 11 आराजी संख्या 178, रकबा 0.1700 है0, खसरा संख्या 179, रकबा 0.2100 है0 व खसरा संख्या 180 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0. 5000 हैक्टर प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested